

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 714]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 नवम्बर 2024 — कार्तिक 22, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2014/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 14 की उप-धारा (2) सहपठित धारा 433 तथा नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 32 की उप-धारा (2) सहपठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. प्ररूप-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“प्ररूप 3
(नियम 24 (2) देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

(* नगरपालिक निगम/परिषद्/नगर पंचायतके वार्ड क्रमांक. से पार्षद का
निर्वाचन

में, जिला.की *नगरपालिक निगम/परिषद्/नगर पंचायतके वार्ड क्रमांक. से पार्षद के पद के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ/करती हूँ :-

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति/पत्नी/अनाथ की दशा में विधिक संरक्षक/तृतीय लिंग की दशा में गुरु का नाम

उसका डाक का पता

उसका नाम उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक. की (निर्वाचक नामावली) के भाग अनुक्रमांक. में स.क्र. पर प्रविष्ट है।

2. मेरा नाम है, जो उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/ परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक. की (निर्वाचक नामावली) के भाग अनुक्रमांक. में स.क्र. पर प्रविष्ट है।

तारीख.

.....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर
(नाम.)

मैं, ऊपर नामित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैंने वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- ** (ख) मुझे निर्वाचन में (दल) द्वारा खड़ा किया गया है;
- (ग) मेरे द्वारा चुने गये प्रतीक, अधिमान या क्रम में, -
(एक). (दो). (तीन). है।
- (घ) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार, मैं उपर्युक्त नगरपालिक निगम/परिषद्/ नगर पंचायत के पार्श्व के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ एवं निरर्हित नहीं हूँ;
- (ङ) मैं. (*) जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का/की सदस्य हूँ, जो छत्तीसगढ़ राज्य के (जिला). के सम्बन्ध में (*) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित है;
- (च) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में सही रूप से लिखा गया है और मेरा नाम मतपत्र तथा अन्य निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए:-***

तारीख.

.....
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
(नाम.)

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो, तो इस पैरा को काट दीजिए।

***यदि आवश्यक हो, तो नाम के साथ आदरसूचक पदनाम, व्यावसायिक पदनाम, पिता/पति का नाम, निवास आदि भी लिखा जाए।

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र का स.क्र.

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा प्रदत्त किया गया था।

तारीख.

.....
रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)
(नाम.)

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 28 के अनुसार कर लिया है और निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :-(*)

.....

तारीख.

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

(नाम.)

सील.

(*) यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है, तो उसके कारण लिखे जाए।

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना (नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिये जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र का सरल क्रमांक.
 श्री/कु./श्रीमती.....का, जो (*) नगरपालिक निगम/परिषद्/नगर पंचायत.....
के वार्ड क्रमांक. से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय
 में (तारीख). को. (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया। समस्त नामनिर्देशन पत्रों की
 संवीक्षा (तारीख). को. (बजे) (स्थान) में की जायेगी।

तारीख.

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

(नाम.)

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2024

क्रमांक एफ 1-5/2014/18 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2014/18 दिनांक 11-11-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.